संख्या- 2116/81-2-2021-800(91)/2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 29 दिसम्बर 2021

विषय- जनपद मुजफफरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से राणा चौक (किमी0 चैनेज 102.05 से 113.440) सुजडू चौक से राणा चौक (पी0डब्लू0डी0 किमी0 चैनेज 3.000 से 0.000) व चरथावल मोड़ से पीनना बाईपास (पी0डब्लू0डी0 किमी0 चैनेज 71.900 से 69.400) कुल लंबाई 16.890 किमी0 में 12" व 8" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.8445 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं0 एफपी/यू0पी0/अदर्स/121957/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-1547/11-सी/-एफपी/यू0पी0/अदर्स/121957/2021, दिनांक 18-11-2021, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के चैप्टर-4 के बिन्दु- 4.2 मे विहित प्राविधान तथा पत्र संख्या-एफसी-11/165/2019/एफसी, दिनांक 27-7-2020 विहित जनपद मुजफफरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से राणा चौक (किमी0 चैनेज 102.05 से 113.440) सुजडू चौक से राणा चौक (पी0डब्लू0डी0 किमी0 चैनेज 3.000 से 0.000) व चरथावल मोड़ से पीनना बाईपास (पी0डब्लू0डी0 किमी0 चैनेज 71.900 से 69.400) कुल लंबाई 16.890 किमी0 में 12" व 8" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.8445 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के आधार पर निम्न शर्तो /प्रतिबंधों के अधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाती हैं-

(1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

(2) सी0एन0जी0/पी0एन0जी0पाइपलाइन/मार्गो/सड्कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।

(3) सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00मीटर से अधिक न होगी।

(4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

(5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

(9) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

(14) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।

(15) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(16) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(17) परियोजना में 12 व 8 इंच डाया गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।

(18) राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने

अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।

(2)- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

(3)- जिलाधिकारी, मुजफफरनगर।

(4)- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफफरनगर।

(5)- श्री सोमिल गर्ग, एडीशनल जनरल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, नई दिल्ली।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
अनु सचिव।